2025/9

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

गुरतेज सिंह वगैरा बनाम जरनैल सिंह

अपील प्रकरण सं03/2025

अधिवक्ता अपीलार्थी :– बलविन्द्र सिंह बराड़ — अधिवक्ता रेस्पोडेन्टः–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
23.01.2025	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 03 व 5/1 को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक नायब तहसीलदार सादुलशहर के द्वारा इन्तकाल संख्या 1024 दिनांक 24.12.2024 जो स्वीकृत किया गया है, में अपीलार्थीगण जरनैल सिंह पुत्र जगराज सिंह व हरकमल सिंह पुत्र गुरलाभ सिंह के नाम पत्थर नम्बर 30/104 मुरब्बा नम्बर 39 में दर्ज विवादित रकबा को रहनबैय नहीं करेगें। अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिशिचित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 19.02.2025 को पेश हो। अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर	
28.01.25	अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की ओर से उपरोक्त अनवानी अपील इन्तकाल संख्या 1094 दिनांक 24.12.2024 को उप तहसीलदार सादुलशहर के द्वारा स्वीकृत किया हुआ बताकर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है जबकि इन्तकाल संख्या 1094 दिनांक 24.12.2024 को सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत इन्तकाल की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश क्षेत्राधिकार विहीन है। अतः अपील श्रीमान न्यायलाय के क्षेत्राधिकार की नहीं होने के कारण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज फरमाई जाने का आदेश पारित करें।	

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

फर्द अहकाम

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील जो श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है वह न्यायालय उप तहसीलदार सादुलशहर के आदेश की पालना में स्वीकृत इन्तकाल संख्या 1094 दिनांक 24.12.2024 के विरूद्व पेश की गई है, जबकि वास्तव में उक्त इन्तकाल सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसके ज्ञान के अभाव में उक्त अपील श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की है। अगर उक्त अपील में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर अपील सम्बन्धित न्यायालय को लौटाई जाने के आदेश पारित किये जाते है तो अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है। अतः स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर अपील मीमो सम्बन्धित न्यायालय को लौटाये जाने का आदेश पारित करने का श्रम करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अपील सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 1094 दिनांक 24.12.2024 के विरूद्व पेश की गई है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नही है। अतः उक्त अपील में जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.01.2025 निरस्त किया जाता है एवं अपील अपीलार्थी इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि उक्त सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलाय में सुनवाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर